Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

आरोपी मनोज कुमार को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 04 माह के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि **वर्ष 2008 में अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र बबली निवासी ग्राम बुढैडा थाना बिनौली जनपद बागपत के विरूद्ध थाना बिनौली पर** मु0अ0सं0 196/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19.03.2026 को मा0 न्यायालय सी.जे.(जे.डी.) कोर्ट-2 जनपद बागपत द्वारा **अभियुक्त मनोज कुमार को दोषी पाते हुए 04 माह के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम

जनपद बागपत दिनाँक 19.03.2026

साइबर क्राइम थाना बागपत ने सोशल मीडिया इन्स्टाग्राम प्लेटफार्म पर कपड़ों का एड देकर लोगो के साथ धोखाधड़ी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के 10 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 19 मोबाईल फोन, 08 लैपटॉप, 21 एटीएम/ डेबिट कार्ड, 01 सिम कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 04 पैन कार्ड, 03 आधार कार्ड 02 टैबलेट, 04 हैडफोन, 01 कम्प्यूटर माउस, 02 जियो वाईफाई, 02 एयरटेल वाईफाई बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2026 को थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादी अंकुश नैन पुत्र सहदेव निवासी सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया वादी के इन्स्टाग्राम एकाउन्ट पर कपड़ो का एड देखकर वादी को कपड़े खरीदने का प्रलोभन देकर अभियुक्तगणों द्वारा वादी से अलग-अलग खातों से 01 लाख 42 हजार 603 रूपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिये गये। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या-17/2026 धारा 318(4), 111(2)(बी) BNS व 66(D) IT Act, पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशानुसार जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत एवं विवेचना के क्रम में थाना साइबर क्राइम बागपत द्वारा मु0अ0सं0 17/2026 धारा 318(4), 111(2)(बी) BNS व 66(D) IT Act में प्रकाश में आए तथ्यों जैसे

एकाउन्ट नं0, मोबाइल नं0, आदि के आधार पर प्रकाश में आये 10 अभियुक्ततों 1.आदि, 2.रितिक सिंह, 3.राजा, 04.सुरेन्द्र, 05. विशाल, 06 सुमित, 07. मिन्टू, 08.सूरज, 09.विशाल व 10.नीरज को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 19 मोबाईल फोन, 08 लैपटॉप, 21 एटीएम/ डेबिट कार्ड, 01 सिम कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 04 पैन कार्ड, 03 आधार कार्ड 02 टैबलेट, 04 हैडफोन, 01 कम्प्यूटर माउस, 02 जियो वाईफाई, 02 एयरटेल वाईफाई बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. आदि पुत्र रामजी निवासी 476 पहाड़पुर रोड गार्डन रीच कोलकाता (शिक्षा-B.com 2nd year)
2. रितिक सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी एम 118 फतेहपुर बाजार गार्डन रीच कोलकाता (शिक्षा-B.com 2nd year)
3. राजा पुत्र वशिष्ठ निवासी म0नं0 19 मोहल्ला विजय कुमार मुखर्जी रोड थाना गोलावाड़ी हावड़ा कोलकाता (शिक्षा- 12 th)
4. सुरेन्द्र पुत्र मनोज निवासी डी 165 गार्डन रीच फतेहपुर बाजार स्कूल गार्डन रीच कोलकाता (शिक्षा-B.com 2nd year)
5. विशाल पुत्र मनोज निवासी 45 विजय कुमार मुखर्जी रोड सलकिया हावडा कोलकाता (शिक्षा-12 th)
6. सुमित पुत्र मुन्ना निवासी 95/16 धर्मकल्ला रोड सलकिया हावड़ा कोलकाता (शिक्षा-B.com 2nd year)
7. मिन्टू पुत्र मुन्ना निवासी 95/16 धर्मकल्ला रोड सलकिया हावड़ा कोलकाता (शिक्षा-B.com 2nd year)
8. सूरज पुत्र जयप्रकाश निवासी 162/02 बीबी बागान बनारस रोड सलकिया हावड़ा कोलकाता (शिक्षा- 12 th)
9. विशाल पुत्र बली राम प्रसाद निवासी डी 192 टी जी रोड गार्डन रीच कोलकाता(शिक्षा- 09 th)
10. नीरज पुत्र शैलेन्द्र निवासी 95/60 धर्मतला रोड सलकिया हावडा कोलकाता (शिक्षा- 12 th)

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी लोग कोलकाता व हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के रहने वाले हैं, हम सभी लोग दोस्त है। अभियुक्त मिन्टू ने बताया कि मैं, नीरज, सुमित, सूरज, राजा, विशाल, आदि, रितिक सिंह, विशाल, सुरेन्द्र के साथ मिलकर इन्स्टाग्राम एकाउन्ट पर कपड़ों का एड दिखाकर व ऑनलाइन कस्टमर केयर के नम्बरों पर कॉल करने वाले व्यक्तियो के लैपटॉप में इन्स्टॉल साफ्टवेयर के माध्यम से कस्टमर के फोन व लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर कर व अन्य विभिन्न तरीको से लोगो के साथ ठगी कर अलग- अलग बैंक खातो में रुपये ट्रांसफर करवाते थे।

अन्य अपराध/ अपराधिक इतिहास-

अभियुक्तगण के खाते में पूर्व में ही भारत सरकार द्वारा संचालित NCRP PORTAL पर थाना साईबर क्राइम बागपत के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की शिकायते दर्ज है जो निम्न है-

1.एकनोलेजमेंट नं0-313012600072 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम रोहतक हरियाणां
2.एकनोलेजमेंट नंबर 30901260003878 पुलिस स्टेशन पुणे सिटी महाराष्ट्
3.एकनोलेजमेंट नंबर 23701250005416 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम तेलंगाना
4.एकनोलेजमेंट नंबर 31601260009749 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम कर्नाटक

5. एकनोलेजमेंट नंबर 31601260011340 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम बैंगलोर सिटी कर्नाटक
6.एकनोलेजमेंट नंबर 25611250001543 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम पान्डिचेरी
7.एकनोलेजमेंट नंबर 32703250022011 8 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम जयपुर राजस्थान
8.एकनोलेजमेंट नंबर 33112250178781 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम महोबा उत्तर प्रदेश
9. एकनोलेजमेंट नंबर 22106250016916 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम भोपाल मध्य प्रदेश
10.एकनोलेजमेंट नंबर 30202260003003 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम एनटीआर कमिशनरेट आन्ध प्रदेश
11.एकनोलेजमेंट नंबर 23102260020649 पुलिस स्टेशन साइबर जौनपुर उत्तर प्रदेश
12.एकनोलेजमेंट नंबर 23701260004965 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम हैदराबाद सिटी तेलंगाना की फ्राड शिकायत दर्ज हैं

कुल **4,44,72,860 (चार करोड़ चौवालीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ साठ** रुपये) की शिकायतें दर्ज हैं।

बरामदगी का विवरणः-पकड़े गए अभियुक्तगणों से घटना में प्रयुक्त

- 19 मोबाईल फोन
- 08 लैपटॉप
- 21 एटीएम/ डेविट कार्ड ,
- 01 सिम कार्ड
- 01 ड्राइविंग लाइसेंस ,
- 04 पैन कार्ड,
- 03 आधार कार्ड
- 01 टैवलेट सैमसंग व 01 टैवलैट वन प्लस
- 04 हैडफोन, 01 कम्पयूटर माउस,
- 02 जियो वाईफाई
- 02 एयरटेल वाईफाई

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह थाना प्रभारी साइबर क्राइम जनपद बागपत।
2. निरीक्षक श्री संतसरण सिंह, थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
3. उ0नि0 श्री नरेश पाल सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
4. उ0 नि0 श्री राघवेन्द्र कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
5. है0 का0 दीपक कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
6. है0 का0 दीपक बरार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
7. है0 का0 उमेश वर्मा थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
8.हे0 का0 धीरज राठौर थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
9. का0 प्रशांत कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
10. का0 देवेश कसाना थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 19.03.2026**

ANTF सहारनपुर एवं थाना रमाला पुलिस की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 03 अवैध मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 03 किलो 190 ग्राम अफीम (कीमत करीब 16 लाख रुपये), व तस्करी में प्रयोग एक वर्ना कार सफेद रंग बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत ANTF सहारनपुर एवं थाना रमाला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 03 किलो 190 ग्राम अफीम (कीमत करीब 16 लाख रुपये), तस्करी में प्रयोग एक वर्ना कार नं0 DL2CBE6699, अभियुक्तगण की जामा तलाशी से नगद 9050 रूपयों व 3 मोबाइल फोन बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 43/26 धारा 8/18/60 NDPS ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.अरुण कुमार पुत्र बलकारी सिंह निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली उम्र 24 वर्ष

2.हरजिन्द्र सिंह पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम अजीजपुर डेरा सिघांपुर थाना झिझाना जनपद शामली उम्र 21 वर्ष

3.नितिन कुमार पुत्र सतीश निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 03 किलो 190 ग्राम अफीम (कीमत करीब 16 लाख रुपये),
- एक गाड़ी वर्ना नं0 DL2CBE6699
- जामा तलाशी से नगद 9050 रूपयों व 3 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- ANTF सहारनपुर टीम ।
2-थाना रमाला पुलिस टीम ।

प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली खेकडा दिनाँक 19.03.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0 82/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विशाल उर्फ विक्की पुत्र बबलू निवासी नानू रोड काशीराम कालोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा बागपत।
2-का0 247 निशान्त शर्मा थाना खेकड़ा बागपत।
3-है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकडा बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति से गलती से किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते मे ट्रांसफर हुई 10,000/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि को वापस कराया गया –

1-पीड़ित रोहित बंसल पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम डगरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत के द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते मे 10,000/- रुपये गलती से ट्रांसफर हो गये थे। जिसके सम्बन्ध मे आवेदक ने NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई , जिसका ACK नं0 33101260000385 है। शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी उ0नि0 श्री नितिन कुमार द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, तथा पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर हुई सम्पूर्ण धनराशि 10,000/- रुपयों को वापस कराया गया।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकड़ा	33101260000385	10,000/-

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट   दिनाँक 19.03.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.26 को थाना दोघट पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.प्रिंस पुत्र देवेन्द्र 2.रजत पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली द्वारा अभियुक्तों 3.लोकेन्द्र पुत्र नामालूम व 4.एक महिला निवासीगण ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली के कहने पर वादिया के पति विक्की उर्फ विवेक की गोली मारकर हत्या कर दी व वादिया व अन्य परिजनों के ऊपर गोली चलाते हुए वहाँ से भाग गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में फिल्ड यूनिट के द्वारा निरीक्षण घटनास्थल से बरामद घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढौत्तरी की गयी। विवेचना के दौरान

अभियुक्तगण हर्ष पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम वाजिदपुर कवाली थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर व तालियान पुत्र सुरेन्द्र पाल निवासी ग्राम छुर थाना सरधना जनपद मेरठ के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा दिनांक 15-03-2026 को 01 महिला अभियुक्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हर्ष पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम वाजिदपुर कवाली थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.एसओ श्री केवल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
2.व0उ0नि0 श्री दिनेशपाल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
3.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
4.है0का0 289 शैलेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
5.है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
6.है0का0 791 ब्रजेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बडौत   दिनाँक 19.03.2026

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने गुमशुदा बच्ची को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्ची को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0- कीर्ति सिहँ थाना बडौत।

2-म0है0का0269 रीना थाना बडौत।

3-का0825 राजकुमार थाना बडौत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 19.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वांरटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1-शहजाद पुत्र अफाक निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-सलमान उर्फ मन्नान पुत्र अफाक निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम --

1-उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत

2-है0का0 151 संदीप दहिया थाना कोतवाली बागपत